बयान .... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाब प्रा० पत्र हेतु दिनांक 07/11/2025 को पेश हो। [signature]	
7/11/25	पत्रावली पेश हो। वकील वादी उप०। मिसल वास्ते आपत्ति द्वारा जवाब प्रा० पत्र हेतु कई बार अंतिम अवसर दिया जा चुका है वकिल प्रति० द्वारा एक अंतिम अवसर और चाहा गया, न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रा० दिनांक 18/11/25 को पेश हो। आगामी पेशी पर पेश नहीं करने पर पत्रा० के प्रक्रिया पत्र आदि करदिया जावेगा/ पत्रा० दिनांक को आवश्यक रूप से पेश हो। [signature]	
18/11/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप० / वकील प्रति० अनु०/ वकिल प्रति० को पूर्व में जवाब प्रा० पत्र हेतु कई पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं, परन्तु आज दिनांक तक न तो वकिल वादी और न ही प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया है, यह इससे प्रतीत होता है, कि वकिल प्रति० 212 प्रा० पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं, अतः वकिल प्रति० को बहस व कार्यवाही तक पाबंद की जाती है वकील प्रति० द्वारा प्रा० पत्र 212 RT Act में	

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व हुक्म की
18/11/25	बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम खेडली नोनेरा पटवार हलका नोनेरा भू अभि० निरी० वृत्त गैंता तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की संवत 2076–79 के मुताबिक खाता सं० नया 20 पुराना 19 की ख0नं0 113 रकबा 2.75है0 व ख0नं0 191 रकबा 0.47है० ख0न0 55 रकबा 0.75 हैक्ट० ख०न० 9 रकबा 0.83 हैक्ट० ख0न0 96 रकबा 0.59 हैक्ट० कुल किता 05 कुल रकबा 5.39है० प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिस पर निर्बाध रूप से कृषि कार्य करना प्रार्थी का विधिक अधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है अप्रार्थी प्रार्थी की हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जाता है तब अप्रार्थी को तो कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। प्रार्थी का अधिकार हक सुरक्षित होगा। अतः प्रतिवादी क्रम-01 के विरूद्ध रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 को अस्थाई रूप से इस तरह पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 113 रकबा 2.75है0 व ख0नं0 191 रकबा 0.47 है0ए ख०न० 55 रकबा 0.75 हैक्ट० ख०न० 9 रकबा 0.83 हैक्ट० ख0न0 96 रकबा 0.59हैक्ट० कुल किता 05 कुल रकबा 5.39है0 में वाद के निर्णय तक किसी भी प्रकार की भूमि को रहन दान बैचान वसियत किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर खुर्द-बुर्द न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	